

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर

RAJASTHAN STATE SEED & ORGANIC PRODUCTION
CERTIFICATION AGENCY, JAIPUR

Regd. & Head Office : 3rd Floor, Pant Krishi Bhawan, Janpath, Jaipur- 302005
Tel.: No. 0141-2227104, 2227456 (Fax): 2227315 / Email : dir_rssopca@rediffmail.com.in

Date.....

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1973-2010 दिनांक 21.6.2011 व संस्था के आदेश क्रमांक एक05()पी.ए./बी.जे.प्र.सं./बो.मि/64/02/2011/10058-95 दिनांक 21.3.2011 में निम्न आंशिक संशोधन किये जा रहे हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे :-

1. एक कलेण्डर वर्ष में पांच हजार कि० बीज के स्थान पर दस हजार कि० बीज उत्पादन करने वाली बीज उत्पादक संस्था को स्वयं का बीज संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य होगा।
2. बीज संयंत्र के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु बीस हजार कि० या इससे अधिक उत्पादन/रों बीज का विधायन करने वाले विधायन संयंत्रों पर प्रीक्लीनर लगाना अनिवार्य होगा। इनविल्ट (ग्रेडर में अन्तः स्थापित) प्रीक्लीनर वाले ग्रेडर को अलग से प्रीक्लीनर लगाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बीस हजार कि० से कम उत्पादन/रों बीज का विधायन करने वाले विधायन संयंत्र पर मोबाइल प्रीक्लीनर/दो जाली वाला पंखा लगाने पर ही पंजीकरण/नवीनीकरण किया जा सकेगा। उपरोक्त आदेश प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं अध्यक्ष महोदय से अनुमोदित है।

9812-55

10-2-12

निदेशक

प्रतिलिपि:-

- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव (कृषि), शासन सचिवालय, जयपुर।
प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लि०, पंत कृषि भवन, जयपुर।
संश्लेषक, नेशनल सीड्स कार्पोरेशन, एस०एफ०सी०आई, जयपुर।
निदेशक, सी०एस०एफ०, सुस्तगढ़/सरदारगढ़/जैतस।
वरिष्ठ विपणन प्रबन्धक कृषकों, जयपुर।
अध्यक्ष, राजस्थान सर्टीफाइड सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, श्रीगंगानगर।
सामस्त यूनिट प्रमारी रा.रा.बी.ए.व.जै.उ.प्र. संस्था को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि सभी बीज उत्पादन संस्थाओं को आदेश की छाया प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
सामस्त तकनीकी अधिकारी रा.रा.बी.ए.व.जै.उ.प्र. संस्था मुख्यालय, जयपुर।

निदेशक